"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2014— भाद्र 19, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2014/18.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-08-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर हेतु कलेक्टर, रायपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर रायपुर के स्थान पर अपर कलेक्टर, जिला रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त नगर पालिक निगम, बीरगांव का प्रशासक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2014/18, दिनांक 06-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 6th September 2014

NOTIFICATION

No. F 1-11/2014/18.— The state government hereby appoints Collector Raipur as Administrator of Municipal Corporation Birgaon with immediate effect under section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, by notification dated 19-08-2014.

2. The state government hereby amended the notification and appoint Additional Collector Raipur as a Administrator of Municipal Corporation Birgaon instead of Collector Raipur, till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.